

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2335

सोमवार, 08 जुलाई, 2019/7 आषाढ, 1941 (शक)

स्थानीय लोगों को रोजगार

2335. श्रीमती दिया कुमारी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ऐसे उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जो स्थानीय सरकारों द्वारा छूट पर भूमि और अन्य सुविधाएं प्रदान करके स्थापित किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या राजस्थान में सीमेंट उद्योग विशेषकर अजमेर और पाली जिले में स्थानीय रोजगार के उक्त आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या नीतियों में ऐसे दंडात्मक प्रावधान हैं जहां स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले खंड की अवहेलना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

- (क) से (ग): केंद्रीय सरकार समय-समय पर देश के विभिन्न भागों में औद्योगिकीकरण के संवर्द्धन के लिए अनेक पहल एवं नीतियां लाती है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत सीमेन्ट उद्योग को 1989 में वि-नियंत्रित तथा 1991 में गैर-अनुज्ञप्त कर दिया गया है। केंद्रीय सरकार का सीमेंट उद्योग के प्रशासन/प्रबंधन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उद्योग की स्थापना करना राज्य का विषय है तथा राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना में केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

\*\*\*\*\*